



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 873

दिनांक: 14/8/2020

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित निजी सहायकों/ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रु० के पे बैंड में 4800/-रु के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं. / वरि.सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/472	श्रीमती कृष्णा गुप्ता धर्मपत्नी श्री अरुण गुप्ता	अधीक्षण अभियंता (योजना)-II
2/475	श्रीमती संतोष छिकारा धर्मपत्नी श्री रामबीर सिंह छिकारा	निदेशक (योजना) रोहिणी
3/476	श्रीमती इन्द्र वर्षा महाजन धर्मपत्नी श्री दिनेश चंद महाजन	अधीशाषी अभियंता (योजना) सिवल परिमंडल-17

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रु० के वेतन मान में 4800/-रु० के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. निजी सचिव के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी, दि.वि.प्रा. ने उनकी तैनाती को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :-

क्रम सं० / वरि.सं०	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/472	श्रीमती कृष्णा गुप्ता धर्मपत्नी श्री अरुण गुप्ता	पदोन्नति पर	अधीक्षण अभियंता (विद्युत) द्वारका (श्री राजू चांदवानी के स्थान पर)
2/475	श्रीमती संतोष छिकारा धर्मपत्नी श्री रामबीर सिंह छिकारा	पदोन्नति पर	अतिरिक्त आयुक्त (भू-दृश्य) (श्रीमती यशवंती के स्थान पर)
3/476	श्रीमती इन्द्र वर्षा महाजन धर्मपत्नी श्री दिनेश चंद महाजन	पदोन्नति पर	अधीक्षण अभियंता (सिविल परिमंडल-10) (श्री जे.एस. राव के स्थान पर)

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(धर्मेन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)




:2:

दिनांक:- 14/8/2020

सं0-एफ.10(03)2020/सी.सी./ 503

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. अतिरिक्त आयुक्त (भू-दृश्य), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल 10/ 17, (योजना)-II, (विद्युत) द्वारका, दि.वि.प्रा. ।
6. निदेशक (योजना) रोहिणी, दि.वि.प्रा. ।
7. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / प्रणाली, दि.वि.प्रा.
8. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.)/ आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
9. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2020)
10. लेखाधिकारी (संस्था) राजपत्रित / अराजपत्रित / योजना/ सम्बंधित (सी.ए.यू), दि.वि.प्रा. ।
11. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
12. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
13. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।


(हरीश शर्मा)
सहायक निदेशक